न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, किशनगढ़, जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 30/2021 सीआईएस सं. 09/2018

रामेश्वरी देवी व अन्य बनाम पूरणमल

दिनांक – 16.03.2026

वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित।

वादी अधिवक्ता ने दस्तावेज मय फर्द पेश किए, शामिल पत्रावली रहे। मजीद बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 32 नियम 12 सीपीसी उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादी सं. 5 व 6 की ओर से हस्तगत वाद दिनांक 20.02.2018 को जरिए संरक्षक माता वादी सं. 1 की ओर से पेश किया गया था। उस समय वादी सं. 5 व 6 नाबालिग थे। अब वे बालिग हो चुके हैं तथा प्रकरण में स्वयं कार्यवाही करना चाहते हैं। अतः उन्हें वाद चलाने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी सं. 5 व 6 को वाद चलाने की अनुमति दिए जाने व वाद के शीर्षक में वादी सं. 5 व 6 के नाबालिग के स्थान पर बालिग का अंकन किए जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी की ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया व प्रार्थना पत्र में अनापत्ति होना जाहिर किया है।

उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत वाद वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादी बाबत बंटवारा शामलाती रिहायशी मकान एवं स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में पेश किया गया था। वादी सं. 5 लेखराज पुत्र स्व. श्री बाबूलाल का वाद प्रस्तुति के समय 17 वर्ष व वादी सं. 6 हेमन्त पुत्र स्व. श्री बाबूलाल का वाद प्रस्तुति के समय 13 वर्ष का होने से उक्त दोनों नाबालिगों की ओर से जरिए संरक्षक माता रामेश्वर देवी वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त दोनों वादीगण ने जरिए प्रार्थना पत्र स्वयं को वयस्क होना बताया है तथा बालिग होने के आधार पर प्रकरण में स्वयं आगे कार्यवाही करना चाहा है एवं बालिग होने के संबंध में उक्त दोनों ही वादीगण के माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र आयु के संबंध में पेश किए गए है,

"Authenticated Document"

जिनके आधार पर दोनों वादीगण का वर्तमान में वयस्क हो जाना प्रकट होता है। नाबालिगों द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में उनका वयस्क हो जाने पर अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आदेश 32 नियम 12 सीपीसी प्रावधान करती है। वादी सं. 5 व 6 ने वयस्क होने के आधार पर स्वयं द्वारा वाद में आगे कार्यवाही करना चाहा है। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें वाद में आगे कार्यवाही किए जाने की अनुमति दिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी सं. 5 व 6 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवयस्क वादीगण को स्वयं अपने नाम से आगे कार्यवाही किए जाने की अनुज्ञा दी जाती है। वादीगण को आदेश 32 नियम 12 उपनियम 3 सीपीसी के अनुरूप संशोधित शीर्षक पेश करने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक में दिनांक 23.03.2026 को पेश हो।

GANPAT SINGH SOLANKI

Steno Gr. II
"Authenticated Document"
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.03.16 17:23:03 +0530

"Authenticated Document"